अचंल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश–फलक

अभिलेख संख्या- 25/16-17

वाद का प्रकार – सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी।

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- हरिचरण उराँव

पिता/पति-

मौजा – सोरीचकला थाना नम्बर- 317 अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 56/5 दाग नम्बर- 136 रकवा- 00-15-06 धूर (आवासीय)

तिथि	आदेश	मंतव्य
20.9.16	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 264/भू०सु० गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रा० दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रा० दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रा० दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत ....हरिचरण उराँव.... पिता/पति.................... मौजा-....सोरीचकला.... को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक ....27.9.16.... को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। लेखापित। (हस्ताक्षर) 20.9.16 अंचल अधिकारी मेहरमा। (हस्ताक्षर) 20.9.16 अंचल अधिकारी मेहरमा।	

03/01/2023 अभिलेख उपस्थापित। वादी से वादपत्र निष्पादनार्थ हेतु साक्ष्य सहित जमाबन्दी रसीद बाबत प्राप्त आपत्ति/सुनवाई निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुत करें।

ह०/अ०

13/01/23 अभिलेख उपस्थापित। वादी के पुत्र लक्ष्मीकान्त किशोर पे. हरिलाल ठाकुर मौजा सोनवर्षा जमाबन्दी रसीद के साथ उपस्थित हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी रसीद को देखा, जो अनुमण्डल पदाधिकारी गोड्डा सेटलमेंट केस नं. 253/75-76 द्वारा कायम की गई है जो मौजा- पौरी थाना नं. 31 ज.नं. 56/5, दाग नं.-136 रकबा 15 डिसमिल जमीन, किस्म - परती जमाबन्दी है एवं उक्त जमीन वर्ष 14-15 तक लगान रसीद निर्गत है जिससे दावा स्पष्ट है एवं संदेह से परे है।

अतः वादी के वादपत्र स्वीकृत।

अतः अभिलेख कार्यवाही बंद।

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2023.03.06 11:12:17 +05:30
Location: 10.93.147.47

ह०/अ०

ह०/अ०
13/01/23